न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 83/12

संस्थित दिनाँक-29.02.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. 🖊 रामस्वरूप पुत्र सुमेरसिंह जाटव उम्र 41 साल
- 2. कल्ली उर्फ कमलेश पुत्र रामस्वरूप जाटव उम्र 25 साल
 - . फौदी उर्फ मानसिंह पुत्र रामस्वरूप जाटव उम्र 23 साल निवासी वार्ड क0 16, गांधी नगर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

......अभियुक्तगण

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 05.10.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.02.12 को सुबह 8 बजे गांधी नगर आरोपी के घर के पीछे गोहद सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रोहित को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहतगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 341, 294, 323, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 09.02.12 को सुबह करीब 8 बजे फरियादी रोहितसिंह गुर्जर अपनी भैंस को ग्यावन कराने ले जा रहा था। जैसे ही गांधीनगर में अभियुक्त रामस्वरूप के घर के पीछे से निकला तो रामस्वरूप व उसके दो लड़के आए और उन्होंने फरियादी को रोक लिया तथा मादरचोद बहनचोद की गाली देने लगे। जब उसने एवं राजनारायण ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त रामस्वरूप ने फर्सा मारा जो फरियादी के सिर में लगा, लड़कों ने राजनारायण की लाठियों से मारपीट की। सूर्यभान एवं राहुल ने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0 28/12 पंजीबद्ध किया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया,

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या आरोपीगण ने दि0 09.02.12 को सुबह 8 बजे फरियादी रोहित को धारदार हथियार की कोई चोट थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति ?

2.क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व गांधी नगर आरोपी के घर के पीछे गोहद सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रोहित को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, जयसिंह अ०सा० 2 रोहित अ०सा० 3, राजनारायण अ०सा० 4 व सूरजभान अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. फरियादी रोहित गुर्जर उर्फ भोला अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि घटना साक्ष्य से साडे पांच साल पहले सुबह 8–8:30 बजे की है। वे अपनी भैंस को ग्राम बसारा ग्यावन कराने के लिए ले जा रहे थे तभी अभियुक्तगण मिल गए जिससे उनका विवाद हो गया। आरोपीगण ने उनकी धक्का मुक्की कर दी जिसकी उसने रिपोर्ट की थी। प्र०पी० 3 की रिपोर्ट में बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् नक्शामौका प्र०पी० 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। आहत राजनारायण अ०सा० 4 भी घटना साडे पांच साल पहले की सुबह 8–8:30 बजे की बताकर रोहित के साथ ग्राम बसरा जाते समय अभियुक्तगण के मिल जाने पर विवाद हो जाना और धक्का मुक्की हो जाना बताता है। अभिसाक्ष्य में उक्त दोनों ही आहतगण किसी अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा मारपीट कर उपहित कारित करने के तथ्य को प्रकट नहीं करते। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया। सूचक प्रश्नों में भी दोनों साक्षी अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा रोहित को फरसे से उपहित कारित करने तथा राजनारायण को डण्डे से स्वेच्छा उपहित कारित करने के तथ्य से इंकार करते हैं। इस प्रकार से स्वयं आहतगण एवं सर्वोत्तम साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न किए जाने से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

- 8. प्रकरण में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी सूरजभान अ०सा० 5 बताया गया है जो अपने अभिसाक्ष्य में उसके समक्ष कोई घटना घटित होने के तथ्य का समर्थन नहीं करता है। यह साक्षी भी पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया, सूचक प्रश्नों में अभियोजन के मामले का किंचित भी समर्थन नहीं करता है। डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 एवं जयसिंह अ०सा० 2 दोनों साक्षी दस्तावेजों के साक्षी हैं। जहां डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 दिनांक 09.02.12 को चिकित्सीय परीक्षण में आहत रोहित एवं राजनारायण का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उन्हें चोट कारित होने के तथ्य को बताते हैं वहीं जयसिंह अ०सा० 2 अभिसाक्ष्य में प्राथमिकी प्र०पी० 1 फरियादी के बताए अनुसार लेख करना बताते हैं। उक्त दोनों ही साक्षी घटना के सारवान साक्षी नहीं हैं बल्कि अनुसमर्थक होकर दस्तावेजों के निष्पादक हैं। उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता एवं आहतगण को स्वेच्छा उपहित कारित करने के तथ्य की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।
- संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु असन, भेदन या धारदार वस्तु या क्षारीय वस्तु अथवा ऐसी घातक वस्तु जिसका इस प्रकार प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव है, के माध्यम से स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। अभिलेख पर किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त या अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। यदि तर्क के लिए आहत को घटना दिनांक को चोट कारित होना प्रमाणित भी माना जाए तो उक्त चोट के संबंध में फरियादी के द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उसे अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा चोट पहुंचाई गयी हो। डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि आहत रोहित को आई चोट फरसे से नहीं पहुंचाई जा सकती है साथ ही अनुसंधान के अनुक्रम में कोई फरसा भी जब्त नहीं हैं। जहां तक पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 3 एवं पुलिस कथन कमशः 5, 6, 7 का प्रश्न हैं तो उसके संबंध में सुस्थापित है कि वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर धारा 324 भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा का प्रभाव अन्य आरोपों के संबंध में शमन किए जाने के आधार पर दोषमुक्ति का होगा।
- 10. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

- 11. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अविध हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

> ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश